यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्र.चि. अधिकारी, सामु.स्वा.के.- नारसन, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्र.चि. अधिकारी, सामु.स्वा.के., नारसन, हरिद्वार के माह 07/2017 से माह 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2019 से 16.03.2019 तकं सम्पादित किया गया।

भाग-1

1- **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस° के° गुप्ता , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मोः सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.07.2017 से 01.08.2017 तक श्री आई. के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2005 से माह 08/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2- **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इकाई द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत स्थापित चिकित्सा उप-केन्द्रो के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सम्पादन, अनुश्रवण तथा निरीक्षण किया जाता है ।

3- (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ₹लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	Nil	Nil	310.76	292.55	18.21	18.58	18.35	0.23
2017-18	Nil	Nil	371.84	364.22	7.62	12.28	11.71	0.57
2018-19 (02/19)	Nil	Nil	381.89	361.40	--	9.23	8.37	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016-17			2017.18			2018.19		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
एन. एच. एम	Nil	163.11	155.85	7.26	186.44	169.90	16.54	186.37	181.68

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्र.चि. अधिकारी, सामु.स्वा.के.- नारसन, हरिद्वार (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा राज्य के माध्यम से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...स ....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः- सचिव, चिकित्सा विभाग ⟶ महानिदेशक, ⟶ मुख्य चिकित्साधिकारी ,⟶ चिकित्सा अधीक्षक

(iv)लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारसन, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण-वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे है । (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्र.चि. अधिकारी, सामु.स्वा.के.- नारसन, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। औषधि तथा क्रय से सम्बंधित अभिलेखों आदि का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर सं : 1- दिशानिर्देशो का उल्लंघन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारसन गतिमान जबकि 07 अत्यावश्यक स्वीकृत पद रिक्त एवं आयुष विभाग अक्रियाशील।

Indian Public Health Standards (IPHS) Guidelines for Community Health Centre 2017 के अनुसार All essential services as envisaged in the CHC should be made available, which includes routine and emergency care in Surgery, Medicine, Obstetrics and Gynaecology, Paediatrics, Dental and AYUSH in addition to all the National Health Programmes.

(A) कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारसन, हरिद्वार के लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की इस सेंटर में निम्नलिखित पद स्वीकृत होने के उपरांत भी पद रिक्त थेः-

क्रम संख्या	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पद की संख्या	कार्यरत पद
1	Radiologist	01	Nil
2	Physician	01	Nil
3	Orthopaedic Surgeon	01	Nil
4	Dental Doctor	01	Nil
5	Chief Pharmacist	01	Nil
6	Anaesthetic doctor	01	Nil
7	Sweeper	02	01

एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से गतिमान एवं पीड़ित रोगियो को उपयुक्त परिसेवा प्रदान किये जाने हेतु तथा IPHS norms को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारसन, हरिद्वार में उपरोक्त पदों का भर्ती किया जाना था परन्तु लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया की इस सन्दर्भ में उच्चाधिकारी से संपर्क करने के उपरांत भी वर्तमान तक पद रिक्त रह गया।

(B) IPHS norms के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में Ayush विभाग की एक अलग से परिसेवा केंद्र होना चाहिए जहाँ से औषधि का वितरण भी किया जायेगा। परन्तु कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान स्थल का निरिक्षण करने पर यह देखा गया की Ayush विभाग हेतु भवन का निर्माण तो किया गया है पर ना तो संवंधित चिकित्सक निर्दिष्ट स्थान से परिसेवा दे रहे है और ना ही उक्त स्थान से औषधि के वितरण किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में इस

सन्दर्भ में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया है की आयुष विभाग से संबंधित चिकित्सक की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन, हरिद्वार में वर्ष 2012 में किया गया था पर आयुष विभाग के भवन अक्रियाशील होने के कारण चिकित्सक द्वारा मूल भवन से ही परिसेवा प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रकरण से यह देखा जा रहा है की 07 चिकित्सक तथा कर्मचारी का पद रिक्त होने पर ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित रोगियो को अति आवश्यक परिसेवा सुचारू रूप से प्रदान नही किया जा रहा है तथा आयुष विभाग की अक्रियाशील होने के दशा में IPHS norms का उल्लंघन दर्शाता है।

अतः उपरोक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो- ब

प्रस्तर-2- निःशुल्क जैनेरिक औषधि योजना के अन्तर्गत औषधियों के परामर्श पत्र की तीन प्रतियों (ट्रिपल प्रिसकिप्शन स्लिप) का अनुपालन न करने के कारण उस पर किया गया व्यय रू 21,390/- निरर्थक होना।

शासनादेश 136/XXVIII/4-2017-88/2015 दिनांक 28 मार्च 2017 के द्वारा बिन्दु सं0 (2) में बताया गया कि समस्त राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत समस्त राजकीय चिकित्सको द्वारा समान्यतः जैनेरिक दवाओं का ही परामर्श किया जायेंगा। यदि किसी प्रकरण में ब्राडेड दवा का परामर्श दिया जाना आवश्यक हो तो परामर्श पत्र पर एक स्तर ऊपर के चिकित्सक का सकारण कार्योत्तर अनुमोदन संबधित चिकित्सयक द्वारा आगामी 03 दिनों के अन्तर्गत अवश्य प्राप्त किया जायेंगा।

बिन्दु 04 में उपरोक्त प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एतद् द्वारा तीन प्रतियों में परामर्श पत्र की व्यवस्था निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन लागू की गयी थी।

(क) परामर्श पत्र तीन प्रतियों मे होगा। प्रथम लिखित प्रति सफेद रंग की रोगी हेतु द्वितीय कार्बन प्रति हल्के लाल रंग की औषधि वितरण केन्द्र हेतु एवं तृतीय कार्बन प्रति हल्के हरे रंग की संबन्धित चिकित्सक द्वारा अभिलेख में रखने हेतु होगी।

(ख) श्वेत रंग की प्रति एवं हल्के लाल रंग की कार्बन प्रति चिकित्सक द्वारा रोगी को दी जायेंगी। रोगी श्वेत रंग की प्रति आपके पास रखेगा एवं हल्के रंग की कार्बन प्रति औषधि वितरण केन्द्र के प्रभारी फार्मेसिस्ट को देगा।

(ग) परामर्श पत्र पुस्तिका Prescription Slip Book उपरोक्तानुसार मुद्रित की जायेंगी एवं प्रत्येक तीन प्रतियों पर एक क्रमांक अंकित होगा। उक्त परामर्श पत्र का आकार ए 4 साईज का होगा तथा यह GSM Cream Wove Paper कार्बन सहित पर मुद्रित होगा। प्रथम एवं द्वितीय प्रति छिद्रित होगी एवं संबधित मुख्य चिकित्साधिकारी तथा संबधित प्रमुख/मुख्य/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मुद्रित कराकर प्रत्येक बाहाय परामर्शदाता चिकित्सक को जारी की जायेंगी। नवीन परामर्श पत्र पुस्तिका केवत पुरानी पुस्तिका के भर जाने पर एवं चिकित्सक विशेष की प्रतियो को अभिलेखों में संचित करने के उपरांत ही जारी की जायेंगी।

(घ) इस हेतु संबधित प्रभारीगण द्वारा एक पंजीका का रख-रखाव किया जायेंगा जिसमें परामर्श पत्र पुस्तिकाओं का विवरण अंकित रहेंगा तथा अभिलेखों में संचित परामर्श पत्र पुस्तिका एवं ऑडिट हेतु सुरक्षित रखे गये परामर्श पत्रों को चिकित्सक की कार्बन प्रतियों को प्रत्येक चिकित्सक विशेषवार रखा जायेंगा।

कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन के लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया कि 100 नग Prescription Slip छपवाने हेतु M/s Roorkee Mudroun Anoyogic S.S. Ltd. को रू0 21,390/-(अप्रैल 2018) भुगतान किया गया परन्तु छपवाये गये Prescription Slip पर निर्देशानुसार ना तो Serial Number प्रिटिंग थे ना ही कार्बन सहित

मुद्रित किया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्बन नही लगे होने की वजह से ट्रिपल प्रिसक्रिप्शन स्लिप को उपयोग मे लाने से माह सितम्बर 2018 से OPD Doctors द्वारा मना कर दिया परिणाम स्वरूप शासनादेश का उल्लंघन कर परामर्श पत्र को तीन प्रतियों (ट्रिपल प्रिसक्रिप्शन स्लिप) का उपयोग ना सिर्फ बंद किया गया बल्कि निर्देशानुसार Prescription Slip नही छपवाने की वजह से उस पर किया गया कुल व्यय रू0 21,390/- पूर्णत: निरर्थक हुआ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुये बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रिपल प्रिसक्रिप्शन स्लिप का उपयोग कार्बन नही लगे होने की वजह से उपयोग मे लाने से OPD Doctors द्वारा माह सितम्बर 2018 से मना कर दिया ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि छपवाये गये Prescription Slip पर निर्देशानुसार ना तो Serial Number प्रिटिंग थे ना ही कार्बन सहित मुद्रित किया गया था परिणामस्वरूप उस पर किया गया कुल व्यय रू0 21,390/- पूर्णत: निरर्थक होने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग दो ब

प्रस्तर-3- शासनादेश के विपरित जैनेरिक औषधि क्रय करने के बजाय ब्रांडेड औषधि रू 104637/- का अनियमित क्रय किया जाना ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा चिकित्सा अधीक्षक, नारसन को निर्देशित प्रतीक जैनेरिक औ0पो0/18-19/276501 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा अवगत कराया गया था कि जनपद की समस्त चिकित्सा ईकाइयों का शासनदेश 136/XXVIII/4-2017-88/2015 दिनांक 28 मार्च 2017 के क्रय में ट्रिपल प्रिसक्रिप्शन को Implement किया गया प्रस्तावित किया गया था तथा समस्त राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत समस्त राजकीय चिकित्सकों द्वारा समान्यतः जैनेरिक दवाओं का ही परामर्श किया जायेंगा। यदि किसी प्रकरण मे ब्राडेड दवा का परामर्श दिया जाना आवश्यक हो तो परामर्श पत्र पर एक स्तर ऊपर के चिकित्सक का सवारण कार्योत्तर अनुमोदन संबधित चिकित्सक द्वारा आगामी 03 दिनों के अन्तर्गत अवश्य प्राप्त किया जायेंगा। जिसको उक्त शासनादेश के बिन्दु 02 में प्रावधानित किया गया है

The Indian Medical Council (Professional Conduct, Etignettc and Ethics) Regulations 2002 inter alco Prescribes as under regarding use of qeuric name of drugs vide clause 1.5 :-

1.5- use of Genric name of drugs: Every Physician Should, as for as possible, prescribe drugs with qeuric norms and he/should ensure that there is a rational prescription and use of drugs.

All the registered medical practiner under the IMC Act are directed to comply with the aforesaid provision of the regulation without at fail.

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारसन के लेखा अभिलेखों की सूचना जॉच में पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि 07/2017 से 02/2019 के अंतर्गत उपरोक्त आदेशों के विपरित जैनेरिक दवाओं को क्रय करने के बजाय चिकित्सक द्वारा ब्राडेड दवाओं का क्रय बिना निविदा/कोटेशन आंमत्रित किये नियम विरूद्व किया गया जो निम्नवत है-

क्र0 सं0	मेडिकल स्टोर का नाम	बिल न0/ दिनांक	ब्राडेंड दवा का विवरण	भुगतानित धनराशि
1	मै0 शिव मेडिकल स्टोर	1461, 31.07.17	ब्राडेंड दवा (पर्ची संलग्न)	13,528/-
2	मै0 शिव मेडिकल स्टोर	1524, 12.11.17	तदैव	10955/-
3	पी0एम0एस0	210, 14.02.19	तदैव	2968/-
4.	मै0 शिव मेडिकल स्टोर	01, 28.11.17	तदैव	9960/-

5	तदैव	63, 18.12.2017	तदैव	14,994/-
6	तदैव	1540, 30.11.17	तदैव	8720/-
7	तदैव	1410, 19.06.17	तदैव	14314/-
8	तदैव	1423, 22.06.17	तदैव	9273/-
9	तदैव	359, 17.11.18	तदैव	19,905/-
			योग	रू 104637/-

लेखा परीक्षा द्वारा आगे पाया कि ब्राडेंड दवा का क्रय समिति द्वारा ना तो अनुशंसित कराया गया है ना ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गयी । इस प्रकार, शासनादेश द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत ब्राडेंड दवाओं का रू 104637/- धनराशि का अनियमित क्रय किया गया ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सक अधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिआवशकता के दृष्टिगत ब्रांडेड द्वा का क्रय किया गया ,चिकित्सालय मे यथाशीघ्र क्रय समिति का गठन कर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ब्रांडेड दवा का क्रय किया जायगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध मे निर्गत शासनादेश के शर्तों के विपरित चिकित्सालाय द्वारा जैनेरिक औषधि क्रय करने के वजह ब्रांडेड औषधि रू 104637/- का क्रय किया गया। इस प्रकार , शासनादेश के शर्तों के विपरित जैनेरिक औषधि क्रय करने के वजह ब्रांडेड औषधि रू 104637/- का अनियमित क्रय करने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग दो ब

प्रस्तर-4- Ultrasound Scanner मशीन लागत रू 55.36 लॉख का अनुपयोगी पड़ा रहना।

M/s HSCC (India) Limited dated 14 June 2004 के द्वारा Ultrasound Scanner का क्रय रू0 55,35,816/- किया गया था जिसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा 27.08.2004 को चिकित्सा अधीक्षक, नारसन को पंजीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था ताकि अल्ट्रासाउण्ड मशीन का पंजीकरण किया जा सकें। सामु0स्वा0के0, नारसन द्वारा अक्टूबर 2004 में मशीन स्थापित किया गया था। ताकि लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो सकें।

लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया कि अल्ट्रासाउण्ड मशीन चिकित्सालय में स्थापित होने के बावजूद संचालन करने वाले Radiologist नही रहने के वजह से उपयोग मे नहीं लाया जा रहा है अल्ट्रासाउण्ड मशीन कई वर्षो से अनुपयोगी पड़ी है जिसके कारण गर्भवती लाभार्थियों का अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण नही किया जा रहा है परिणामस्वरूप अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर रू 55.36 लॉख व्यय करने के बाद भी ना सिर्फ अल्ट्रासाउण्ड मशीन कई वर्षो से अनुपयोगी पड़ी है बल्कि लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुये बताया गया कि सामु0स्वा0के0, नारसन में अल्ट्रासाउण्ड मशीन अक्टूबर 2004 मे स्थापित किया गया था परंतु तब से वर्तमान तक सिर्फ डेढ़ वर्ष ही रेडेओलोजिस्ट होने से अल्ट्रासाउण्ड मशीन का उपयोग सामु0 स्वा0 के0, नारसन में किया गया। रेडेओलोजिस्ट का पद रिक्त होने कि बजह से डेढ़ वर्ष छोडकर बाकी कई वर्षो से अल्ट्रासाउण्ड मशीन अनुपयोगी पड़ा है ।

इस प्रकार सामु0 स्वा0 के0, नारसन में Ultrasound Scanner मशीन लागत रू 55.36 लाख व्यय करने के उपरांत कई वर्षों से अनुपयोगी पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं:1- संविदा कर्मी चिकित्सक के वेतन धनराशि ₹ 41600 का अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में

कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नारसन, हरिद्वार के लेखापरीक्षा के दौरान रोकड़ वही एवं अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार के द्वारा निर्गत आदेश सं : ई -3 /चिकि . अ / संविदा / 2017-18/9056 दिनांक 11-08-2017 के तहत श्री अजय अग्रवाल, चिकित्सक को दिनांक 11-08-2017 से 28-02-2018 की एक वर्ष की अवधि हेतु धनराशि ₹ 48,000/- प्रति माह की वेतन पर अनुमति प्रदान की गयी थी तथा आगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार के आदेश संख्या ई -3 /चिकि . अ / संविदा / 2018/2069-04 दिनांक 21-05-2018 द्वारा विस्तारित की गयी थी परन्तु संवंधित चिकित्सक द्वारा अनुपस्थित अवधि (22-04-2018 से 20-05-2018) के दौरान भी कार्यालय द्वारा वेतन का अनियमित भुगतान किया गया है तथा इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या : 1316/XXVIII-2/01(91)/2008 दिनांक 25-07-2015 के अनुसार संविदा में नियुक्त कर्मचारी को वर्ष के अंत में 03 दिन का बिराम देते हुए पुनः नियुक्ति का भी प्रावधान है।

अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया की चिकित्सक डा: अग्रवाल की अनुपस्थित की अवधि (22-04-2018 से 20-05-2018) = 29 दिन कि वेतन कार्यालय द्वारा अनियमित भुगतान किया गया जिसमे 03 दिन का विराम देते हुए कुल 26 दिन होता है । अतः धनराशि ₹ 48000 ÷ 30 = ₹ 1600 प्रति दिन के हिसाब से 26 दिन x ₹ 1600 = ₹ 41600 की अनियमित वेतन भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान उक्त प्रकरण पर पूछे जाने पर इकाई द्वारा सहमती जताते हुए यह बताया गया की उक्त धनराशि की वसूली करने के पश्चात् लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा । कार्यालय द्वारा प्रकरण की पुनः जाँच कर अधिक भुगतानित वेतन की धनराशि यदि वसूली योग्य पायी गयी, तो संविदा के रूप में नियुक्त चिकित्सक से वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग-दो अ प्रस्तर सं0	भाग-दो ब प्रस्तर सं0	STAN प्रस्तर सं0
41	2017-18	शून्य	01, 02, 03, 04	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि संदर्भित प्रस्तर की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया नही जा सका एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग-4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

विगत वर्ष मे रूबेला काम्प के कार्य पर जिलाधिकारी द्वारा कार्य की प्रशंसा किया गया था

भाग-5

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्र.चि. अधिकारी, सामु.स्वा.के.- नारसन, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

2- सतत अनियमितताएंः-

(अ) शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री आलोक सिन्हा	चिकित्सा अधीक्षक
2	श्री विवेक कुमार गर्ग	चिकित्सा अधीक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्र.चि. अधिकारी, सामु.स्वा.के.- नारसन, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.